कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0 प्रयागराज।

संख्याः- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1981 लखनऊः दिनांकः 16-9-2020

-कार्यालय आदेश-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा वर्तमान सत्र 2020-21 हेतु विभिन्न राजकीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद् कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनापत्ति नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि संबंधित प्रस्ताव गहन विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त की अनुपालना में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद संख्या 3 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया।

"निजी क्षेत्र में स्थापित विभिन्न इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न शासकीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध हैं, ने एआईसीटीई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु वर्तमान अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में एआईसीटीई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार चलने वाले पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एआईसीटीई द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उनमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1248	श्रीराम अभि एण्ड मुनेश्वर प्रसाद प्राविधिक शैक्षणिक संस्थान, महोबा (बेलाताल)	बी0टेक सिविल इंजीनियरिंग।	60	60
			कम्प्यूटर एप्लीकेशन।	60	60
			इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन।	60	60
			इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग।	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एआईसीटीई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, संशोधन विनियमावली-2018 तथा अन्य निर्गत नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मूलक क्रियेटर संस्थाओं द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30,750.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही छात्रों/छात्राओं से प्रथम वित्त लायेगी। उपरोक्त से अतिरिक्त

कार्यालय,

अधिक्षक, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- प्राशिप/परीक्षा/सम्बद्धता/2021/3537

दिनांक: 09/08/2021

-कार्यालय आदेश-

अधिक शासकीय एवं निजी शिक्षा परिषद, यूपी दिल्ली सरकारी अनुदेशक अधिनियम, यूपी दिल्ली द्वारा वर्तमान सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदित छात्र-छात्राओं के प्रवेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय परिपत्र दिनांक 18.06.2021 की परिधि के अन्तर्गत ऑनलाइन के माध्यम से केवल संचालित की गयी। केवल ये संस्थाएं हैं जिन्हें सत्र 2021-22 हेतु अनंतिम मान्यता प्रदान की गयी है एवं जिन्होंने संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया था एवं जिन्हें सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु विचार किया गया था। सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

निम्नवत अंकित की मैरिट एवं निर्धारित के अनुक्रम में निम्न संस्थान को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित पाठ्यों के अनुमोदित प्रवेश संख्या हेतु सम्बद्धता निम्नवत प्रदान की जाती है :-

संस्था का कोड एवं नाम : 1148-SHRIMANT R L SUMAN UCHCHATAR PRAVIDHIK SHAIKSHANIK SANSTHAN, MADANPUR, FIROZABAD

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एआईसीटीई/डीएचई/यूपीसीएमएस द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	P.G.DIPLOMA IN BEAUTY AND HEALTH CARE	60	60
2	P.G.DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	60
3	HOME SCIENCE	60	60
4	LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE	60	60
5	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था द्वारा/एआईसीटीई/डीएचई/यूपीसीएमएस द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा परिषद (संचालन एवं पर्यवेक्षण) अधिनियम, 1962, संशोधित विनियमावली 2016 तथा यूपी दिल्ली सरकारी एवं अशासकीय संस्थानों का अनुमोदन एवं संचालन अधिनियम द्वारा निर्धारित शुल्क ढांचा वर्तमान प्रवेश वर्ष हेतु रू0 38150.00/- प्रतिवर्ष, जो वर्तमान फीस स्ट्रक्चर हेतु रू0 44000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु वर्तमान फीस स्ट्रक्चर के अतिरिक्त हेतु रू0 6,00,000.00 एवं प्रतिवर्ष सुरक्षा ही धनराशि वापसयोग्य से संस्था द्वारा ली जायेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के माध्यम से इससे अधिक धन वसूल द्वारा किया जाना पाये जाने पर संस्था के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना अवश्यम्भावी होगा। वर्तमान फीस स्ट्रक्चर समिति द्वारा यदि वित्त 2021-22 हेतु वर्तमान का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस भी उसी प्रकार देनी होगी।
- ✓ संस्था को उ0प्र0 प्राविधिक शिक्षा अधिनियम तथा उसे अधिनियम, शासनादेशों को सम्बद्ध नियम तथा यू दिल्लीसरकारी-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ शिक्षण में संलग्न प्रवेश परिषद, परिषद द्वारा आयोजित जनों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उ0प्र0 प्रवेश नियमन के 12(2)(ग) द्वारा ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को प्रवेश प्रवेश एवं निर्धारित शुल्क/फीस के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।
- ✓ संस्था को एआईसीटीई/डीएचई/यूपीसीएमएस द्वारा दी जाने वाली एवं हेतु अनुमोदित संख्या विषय तथा सम्बद्धता होगा।
- ✓ संस्था द्वारा छात्र छात्रा द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि/अनिवार्य/वैकल्पिक/शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक धनराशि एवं विवरण छात्रवृत्ति शिक्षा, उ0प्र0 राज्य प्रवेश परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा समय समय पर जारी, निर्देशों, आदेशों के तहत पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त छात्र/छात्रा की परीक्षा यदि दी भी जाए, यू दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने से सम्बन्धित रहेगी है तो इस संस्था में समस्त उ0प्र0 शिक्षा संस्था का संस्था एवं विभिन्न अन्य छात्रों के लिये समान रूप से लागू होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा शिक्षण उत्तर प्रदेश शासन की कोई अन्य संस्था विषय अथवा है उन्हें संस्था द्वारा के संबंध में भी आवश्यक शुल्क किसी प्रकार की छात्रवृत्ति संबंधी कार्यवाही निर्धारित किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित शुल्क की करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा द्वारा कराये जाने वाले पाठ्यक्रमों संबंधित कराये जाने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शिक्षण द्वारा प्रवेश हेतु के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु रू0-प्रोस्पेक्टस उपलब्ध कराने के पूर्व प्रतिनिधि भाग ले अनुमोदन द्वारा तथा परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। उत्तर प्रदेश की एआईसीटीई के मानकों से अलग संस्था द्वारा यदि प्रवेश/शुल्क निर्धारित किया जाता है तो संस्था प्रवेश/शुल्क को मान्यता नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश संस्थाओं द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन विधियों का अनुपालन कराना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था को अपने परिसर/भवन में संस्था की संपत्ति पुस्तकें, उपकरण, खेल-सामग्री, उपकरण, छात्रा विवरण आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शैक्षणिक-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षण सेशन में संस्था आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में छात्राओं/शिक्षकेत्तर कर्मचारी को चलाने हेतु नियुक्त एजेंसी के संबंध उपलब्ध कराये गये सर्विसेज एग्रीमेन्ट/करार उपलब्ध कराना होगा का यदि कोई भाग है तो संस्था किसी अन्य व्यवस्थापन के संचालन में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए तो नहीं है तो संस्थान 4401 की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के कर्मचारी नियुक्त होना यदि होना है पुरुष, महिला छात्रावास, उपलब्ध एवं अन्य सम्बन्धित एआईसीटीई/डीएचई/यूपीसीएमएस/परिषद से सम्बन्धित प्रावधान नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर संस्था से सम्बद्धता समाप्त/निरस्त की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

अधिक

पृ0सं0- प्राशिप/परीक्षा/ सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक- 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक SHRIMANT R L SUMAN UCHCHATAR PRAVIDHIK SHAIKSHANIK SANSTHAN, MADANPUR, FIROZABAD

श्रीमन्त आर एल सुमन उच्चतर प्राविधिक शैक्षणिक संस्थान
मदनपुर फिरोजाबाद (उ0प्र0)

(सुनील कुमार सोनकर)

अधिक